न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/561

मथुरा लाल आत्मज धुलियॉ जी जाति माली निवासी ग्राम रेल गॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल ।
2. रामरतन माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल ।
3. प्रहलाद माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल ।
4. रतन बाई माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल ।
5. बादाम बाई माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल ।
6. मनभर बाई माता कंचन पुत्री धूल्या आत्मज गोपीलाल जाति माली निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. रामेश्वर पुत्र बिरधीलाल ।
8. घांसी पुत्री बिरधीलाल ।
9. कजोड बाई पुत्री बिरधी लाल ।
10. कैलाश बाई बेवा बिरधीलाल जाति माली निवासीगण रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. घनश्याम सुमन माता भूली जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. कमला माता भूली पत्नी कन्हैया लाल जाति माली निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. गीता माता भूली पत्नी नन्दलाल जाति माली निवासी मौखापाडा कैथूनीपोल, कोटा (नाम तर्क) ।
14. विष्णु माता मथूरी आत्मज ग्यरसीराम जाति माली निवासी कोटडी सब्जीमण्डी, कोटा (नाम तर्क) ।
15. हेमराज माता मथूरी आत्मज ग्यारसीराम (नाम तर्क) ।
16. धर्मराज माता मथूरी आत्मज ग्यारसीराम जाति माली निवीसगण सकतपुरा भैयजी के चबूतरे के पास कोटा (नाम तर्क) ।
17. सुमित्रा बाई माता मथूरी पुत्री ग्यारसीराम पत्नी नन्दकिशोर जाति माली निवासी खाडी के पास सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।
18. कजोड बाई माता मथूरी पुत्री ग्यारसी राम पत्नी छोटूलाल जाति माली निवासी झाड आमली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. पुष्पा बाई पत्नी चन्दा लाल जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विजय वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम रेल तहसील दीगोद की खात संख्या नया 192 की कुल 13 किता की 6.97 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि मथुरा, बिरधीलाल पुत्र व पुत्री कंचन, मथुरी, भूली के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमें सभी का बराबर बराबर 1/5– 1/5 हिस्सा है और इसी अनुसार सभी खातेदारन काबिज काश्त चले आ रहे हैं । खातेदार बिरधीलाल ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 14 को बेचान कर दी । वादीगण की माता कंचन की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम गलत तौर पर राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया जबकि वादीगण कंचन बाई के एक मात्र वारिस है जो कंचन बाई के हिस्से पर काबिज काश्त है । वादीगण कंचन बाई के एकमात्र वारिस होने से वह कंचन बाई के 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हैं और उक्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण की माता कंचन बाई का नाम विलोपित कर दिया है जबकि कंचनबाई ने कभी भी अपने हिस्से की भूमि को बेचान अथवा अन्तरण नहीं किया है और न कभी अपना हिस्सा हक त्याग किया है । वादीगण को अधिकार है कि वे अपनी माता का हिस्सा अपने खाते दर्ज करावें ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके । प्रतिवादीगण उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान तथा अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 मथुरा लाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.11.2015 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदानर किये बिना ही वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया । कंचन बाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही ग्राम रेल गॉव व खाता संख्या 236 की वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में छोड दिये जाने के कारण कंचन बाई के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज हो गया और कंचन बाई ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पक्ष में छोडे गये हिस्से बाबत् कोई विवाद नहीं किया । इस प्रकार कंचन बाई की पूर्ण स्वीकृति व सहमति होने के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत की भावना से सहमति के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं व सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये हैं । अब इसके विपरीत कथन करने से अपीलान्ट एस्टोप्ड हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी क्रम 6 घनश्याम, प्रतिवादी क्रम 2 रामेश्वर, वादी क्रम 2 रामरतन व प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उपस्थित पक्षकारों ने सहमति दी परन्तु समस्त पक्षकारों द्वारा निष्पादित कोई राजीनामा पत्रावली में संलग्न नहीं है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है । समस्त पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें समस्त पक्षकार उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा